न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), विकासनगर, जिला देहरादून।
मूलवाद संख्या– 110 वर्ष 2022
नवदान्य ट्रस्ट आदि बनाम श्रीमती रामा देवी आदि।

दिनांक–06.01.2024

पत्रावली पेश। वाद पुकारा गया। पत्रावली का0सं0 195सी2 पर आदेश हेतु नियत है। पूर्व नियत तिथि पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र का0सं0 195सी2

2. प्रतिवादीगण की ओर से द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थनापत्र का0सं0 195सी2 इस अभिवाक के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व विभाग/श्रीमान तहसीलदार विकासनगर द्वारा दी गयी जॉच आख्या दिनांकित 30.11.2023 प्रस्तुत की जा रही है। उक्त आख्या वाद की स्थल की सत्यता तथा स्थल पर विद्यमान सार्वजनिक रास्ता/खसरा सं0 1000 से संबंधित है, जिसे पत्रावली पर ग्रहित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने की याचना की गयी है।

3. उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध वादीगण की ओर से आपत्ति कागज संख्या–201सी2 इन कथनों के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित प्रार्थनापत्र में कथित दस्तावेज को पत्रावली पर ग्रहित किए जाने का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। कथित दस्तावेज किसी भी प्रकार हस्तगत वाद के निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज नहीं है। कथित दस्तावेज न तो मूल दस्तावेज है और न ही द्वितीयक दस्तावेज है और न ही उक्त दस्तावेज को शपथपत्र का भाग बनाकर ही प्रस्तुत किया गया है, जो कि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। अन्त में प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना गयी है।

5. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. हस्तगत मामले में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् विदित है कि हस्तगत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 01.08.2022 को निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है तथा पत्रावली सुनवायी 6सी2 के स्तर पर नियत है। वादी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से राजस्व विभाग/श्रीमान तहसीलदार विकासनगर द्वारा दी गयी जॉच आख्या दिनांकित 30.11.2023 की छायाप्रति का0सं0 196सी1 दाखिल करना चाहता है, जिसके संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी के द्वारा दाखिल किए जाने वाले दस्तावेज सी0पी0सी0 के आदेश 8 नियम 1(ए) एवम् आदेश 7 नियम 14 के अधीन प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। यह उल्लिखित किया जाना आवश्यक है कि सी0पी0सी0 के आदेश 8 नियम 1(ए) एवम् आदेश 7 नियम 14 में दस्तावेजों के संबंध में यह अवधारित किया गया है कि जो भी दस्तावेज

वादी व प्रतिवादी के कब्जे में हों व उनकी आवश्यकता प्रतीत हो तो उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। सी0पी0सी0 के आदेश 13 नियम 14 में यह भी प्रावधानित किया गया है कि वाद में वाद बिन्दु विरचित किये जाने से पूर्व या वाद बिन्दु विरचित किए जाने के समय पूर्व में दाखिल सभी दस्तावेज मूल रूप में दाखिल किए जा सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत वाद अभी सुनवायी 6सी2 के स्तर पर लंबित है, जिसमें वाद बिन्दु विरचित नहीं किए गए हैं। दौराने बहस वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि वादी द्वारा जो दस्तावेज हस्तगत प्रार्थनापत्र से पत्रावली पर ग्रहित किए जाने की याचना की है, वह मात्र छायाप्रति है, जो कि साक्ष्य अधिनियम की धारा–61 के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उक्त के संबंध में उल्लिखित किया जाना आवश्यक है कि इस स्तर पर उपरोक्त दस्तावेज को पत्रावली पर ग्रहित किए जाने का प्रश्न है, जबकि उपरोक्त दस्तावेज के साक्ष्य में ग्राह्य होने या न होने के तथ्य को पश्चातवर्ी स्तर पर देखा जाना है। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज हस्तगत मामले के सफल निस्तारण हेतु सहायक हो सकता है। अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र कागज संख्या 195सी2 स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। अतः निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत कागज संख्या 195सी1 स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार वादी की आपत्ति 194सी2 निस्तारित की जाती है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कागज संख्या 196सी1 पत्रावली पर रखा जाए।

पत्रावली वास्ते सुनवायी 6सी2/93सी2 नियत तिथि को पेश हो।

टी0आई0 अग्रिम नियत तिथि तक प्रभावी रहेगा।

(अनिल कुमार कोरी)
सिविल जज (जू0डि0),
विकासनगर, देहरादून।

दिनांक–06.01.2024